

अंतिम डिक्री मुकदमे इब्दादाई
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा
पीलारीन अधिकारी- अमिता विश्‌नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या - 015/2021

1. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रामलाल जाति जाट (सिद्दाग) साकिन गोलूवाला सिद्दागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. अर्जुन सिंह सिद्दाग पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति जाट साकिन गोलूवाला सिद्दागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

— वादीगण

— ब-नाम —

1. पुष्पा देवी (नाम कलमजब)
2. आनन्दस्वरूप (लापता)
- 2/1 महावीर पुत्र आनन्दस्वरूप जाति जाट साकिन 47 एनडीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
- 2/2 भागवती, पुत्री आनन्दस्वरूप पत्नी दयाराम पुत्र सुल्तान जाति जाट (झांझा) तहसील बणवाला तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
- 2/3 रजनी पुत्री आनन्दस्वरूप पत्नी राजेन्द्र कुमार पुत्र बृजलाल जाति जाट (बेनीवाल) साकिन 2 गोलूवाला तहसील गोलूवाला जिला बीकानेर राजस्थान।
3. जसवीर सिंह, बलवीर सिंह पिसरान जुगलकिशोर जाति जाट साकिन गोलूवाला सिद्दागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
5. राजस्थान सरकार जारिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा।

— प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवं खाता विभाजन


वादीगण की ओर से श्री मदन पारीक अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 2/1 व 4 की ओर से श्री अशोक मुंडेसर अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक को अमिता विश्‌नोई आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, 88 के अन्तर्गत वाद प्राथमिक डिक्री किया गया था जिसमें तहसीलदार पीलीबंगा से पत्रांक रीडर/2024/1488 दिनांक 23.07.2024 से प्राथमिक डिक्री पालना प्राप्त हुई है। प्राथमिक डिक्री पालना के आधार पर अंतिम डिक्री किया जाकर निम्नानुसार वाद में वर्णित तहसील पीलीबंगा के चक 22 जेआरके की कृषि भूमि का खाता खाता विभाजन किया जाता है।

क्र.सं.	नाम वादी/प्रतिवादी	प्राप्त रकबा
01	राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रामलाल जाति जाट (सिद्दाग) साकिन गोलूवाला सिद्दागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।	प.न. 33/250(34) कि.नं. 5/0.228, 0.025 गै.मु. रास्ता, 6-15-16/0.759 हैक्ट., 24/0.248(पूर्वी), 25/0.253 कुल 1.513 हैक्ट. नहरी मय गै.मु. रास्ता
02	अर्जुन सिंह सिद्दाग पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति जाट साकिन गोलूवाला सिद्दागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।	प.न. 33/250(34) कि.नं. 3(पूर्वी) 0.058 नहरी, 0.006 गै.मु. रास्ता, 4-7-14-17/1.012, 18-23(प्रत्येक 0.250 पूर्वी), 24/0.005 पश्चिमी कुल 1.581 हैक्ट. (1550 नहरी 0.031 गै.मु. रास्ता)
03	महावीर पुत्र आनन्दस्वरूप जाति जाट साकिन 47 एनडीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़। भागवती, रजनी पुत्रिया आनन्दस्वरूप जाति जाट बहिरेसा बराबर	प.न. 33/250(34) कि.नं. 2(पूर्वी) 0.053 नहरी, 0.005 गै.मु. रास्ता, 9/0.057, 8-12-13-19-22/1.265, 3(पश्चिमी) 0.170, 0.019 गै.मु. रास्ता, 18-23(प्रत्येक 0.003 पश्चिमी) 1.551 नहरी 0.031 गै.मु. रास्ता कुल 1.575 नहरी मय गै.मु. रास्ता
04	जसवीर सिंह, बलवीर सिंह पिसरान जुगलकिशोर जाति जाट साकिन गोलूवाला सिद्दागान बलवीर सिंह तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।	प.न. 33/250(34) कि.नं. 1-10-11-20-21/1.265, 2(पश्चिमी) 0.175 नहरी, 0.020 गै.मु. रास्ता, 9(पश्चिमी) 0.196 कुल 1.656 हैक्ट. मय (1.611 हैक्ट. नहरी, 0.045 हैक्ट. गै.मु. रास्ता)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किरसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने की दशा में स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किरम (यथा नहरी/बाराणी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किरसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 07/8/2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुदा से जारी की गई।


(अमिता विशनोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड सहायक कलेक्टर एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
पीलीबंगा